

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepank Kumar Sharma ...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forests
 And Climate Change & OrsRespondents

INDEX

| S.No. | Particulars | Page No. |
|-------|--|----------|
| 1. | Affidavit of (Respondent No.7), Divisional Forest Officer Bijnor, in compliance of order dated 12.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal. | 1-12 |
| 2. | Annexure R-1 A Copy of order dated 12.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal | 13-15 |
| 3. | Annexure R-2 A copy of revenue record furnished by the Office of Tehsildar Sadar Tehsil Bijnor | 16-27 |

| | | |
|----|---|-------|
| 4. | Annexure R-3 A copy of representation given by the Respondent 8 | 28-30 |
| 5. | Annexure R-4 A copy of letter dated 13.12.2023 denying permission for felling of mango trees | 31 |
| 6. | Annexure R-5 A copy of letter dated 25.11.2023 and 4.12.2023 | 32-33 |
| 7. | Annexure R-6 A copy of letter dated 25.11.2023 and 4.12.2023 | 34-36 |
| 8. | Annexure R-7 A Copy of Recovery of Compensation called E-3 | 37-44 |
| 9 | Annexure R-8. A copy of joint inspection report dated 01.08.2024 | 45-47 |

THROUGH:

Ankit Verma
(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

A-15, FF, Nizamuddin East, New Delhi- 110013

MOB:- 0999080440 Email- ankit.scngtup@gmail.com



INDIA NON JUDICIAL



1


Government of Uttar Pradesh

IN-UP39164030940474W

e-Stamp




| | |
|---------------------------|---|
| Certificate No. | : IN-UP39164030940474W |
| Certificate Issued Date | : 07-Aug-2024 12:51 PM |
| Account Reference | : NEWIMPACC (SV)/ up14901604/ BIJNOR SADAR/ UP-BJN_ |
| Unique Doc. Reference | : SUBIN-UPUP1490160474966099850827W |
| Purchased by | : ARUN KUMAR SINGH SO LATE GANESH PRATAP SINGH |
| Description of Document | : Article 4 Affidavit |
| Property Description | : Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : |
| First Party | : ARUN KUMAR SINGH SO LATE GANESH PRATAP SINGH |
| Second Party | : Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : ARUN KUMAR SINGH SO LATE GANESH PRATAP SINGH |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : 10 (Ten only) |



Please write or type below this line



Handwritten signature and date: 07/08/24



Handwritten signature and date: S. Balwant Singh Advocate Notary Dist. H.Q. Bijnor (U.P.) Reg. No.-18/17/2000 07/08/24

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepank Kumar Sharma

...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forests

And Climate Change & Ors

....Respondents

**AFFIDAVIT OF (RESPONDENT No.7) ,DIVISIONAL
FOREST OFFICER BIJNOR IN COMPLIANCE OF ORDER
DATED 12.03.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent Herein under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Arun Kumar Singh aged about 60 years, S/o Late Sh. Ganesh
Pratap Singh presently posted as Divisional Forest Officer

AS



District Bijnor, Uttar Pradesh, the deponent do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am above mentioned authorized officer of the answering Respondent and has been duly authorized to file the present affidavit on behalf of Respondent. That the Deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and are competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the affidavit which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 12.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal. The Hon'ble Tribunal was pleased to issue the following directions-

However, in view of the undisputed legal position that illegal cutting of the trees raises questions relating to environment arising out of implementation of the Environment (Protection)



Act, 1986 and also the facts and circumstances of the present case we consider it appropriate to seek response/report, in the first instance, from the Divisional Forest Officer, Bijnor, Moradabad Circle, Moradabad, U.P. impleaded as respondent no. 7 in the case. A copy of order dated 12.03.2024 passed by this Hon'ble tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**


4. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of order dated 12.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.
5. That the deponent is posted as Divisional Forest Officer Bijnor (Divisional Director, Social Forestry Division, Bijnor) since 26.01.2023 .
6. That the matter pertains to cutting of two Mangoes bagh/Garden/Park, at Bijnor one on Mandawar Road having an area of about 1.587 hectares in khasra No.2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128 and Rakba are 0.0890, 1.1520, 0.1140, 0.2910, 0.2210, 0.1260, 0.1170, 0.2020, 0.1010, 0.1140 hectare, respectively and



second bagh/Garden/Park at Mandawar Chandak Road, Bijnor, having area of about 2.3420 hectare in Bijnor, in khasra No.1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094 and Rakba are 0.7970, 0.1260, 0.3410, 0.2280, 0.6860, 0.1640 hectare, respectively. Both the Mangoes bagh/Garden/Park are having approximately 180 trees. The respondent No. 8 and 10 had already cut down approximately 30 trees and are trying to cut other trees also after drying the same using some acid.

7. That the Land on which two aforesaid Gatas are situated is a private land which is recorded as Grade 1A (Sankramameeya Bhumidhari)with transferable rights, and is registered in the name of Respondent No 8 and 10 as per the revenue records furnished by the office Tehsildar Sadar Tehsil Bijnor. A copy of revenue record furnished by the Office of Tehsildar Sadar Tehsil Bijnor is marked as **Annexure R-2**

8. That the Respondent No.8 made a representation on 03.11.2023 to the deponent seeking permission to fell 48



Trees on the said premise indicating situated Mandawar Chandak Road, Bijnor, having area of about 2.3420 hectare in Bijnor, in khasra No.1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094 that the trees have become quite old and diseased and have become unproductive. A copy of representation given by the Respondent 8 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3**

9. That the deponent on the receipt of the said representation conducted an appropriate enquiry as per Uttar Pradesh Government's Notification no 24/81-5-2020-07-93 dated 07th of January 2020 referred in the Original Application, terms and conditions laid down in various sections of Uttar Pradesh tree protection Act 1976 and denied to grant any permission for felling of mango trees situated in the aforesaid two Gatas vide his office letter dated 13.12.2023. A copy of letter dated 13.12.2023 denying permission for felling of mango trees is annexed herewith and marked as **Annexure R-4**



10. That the office of the deponent received information on 25.11.2023, regarding possibility of illegal felling of trees by the Respondent No 8 and other co accused. The office of the deponent thereafter on 25.11.2023 and on 14.12.2023 issued necessary directions to the Range Forest Officer and Sub Divisional Magistrate Bijnor City to ensure that no illegal felling of trees takes place. A copy of letter dated 25.11.2023 and 14.12.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5**.

11. That the Respondent No.8 in spite of the permission denied to him for felling of trees, on 11.02.2024 illegally felled 8 trees, and on 26.03.2024 38 trees and on 27.03.2024 illegally felled 33 mango trees in night situated at Mandawar Chandak Road, Bijnor, in Bijnor, Gata No. 1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094.

12. That on the receipt of the credible information received in the office of the deponent from time to time, immediately the preliminary offence report was registered under section 4 and 10 of UP Tree Protection Act 1976 and under Rule 3



and 28 of the UP Transit of Timber And Other Forest Produce Rules 1978 vide Range Case Number 68, 75 and 76/Bijnor/23-24 dated 11.02.2024, 26.03.2024 and 27.03.2024 respectively. A copy of preliminary offence report is annexed herewith and marked as **Annexure R-6**.

13. That pursuant to the registration of the preliminary offence report notices were served upon the Respondent No. 8 and other co accused and imposed maximum compensation as per Section 15 of the UP Tree Protection Act 1976.

14. That pursuant to the compensation imposed upon the Respondent no.8 and other co -accused, compensation amount of Rupees 3, 95,000/- (Three Lakhs Ninety Five Thousand) was recovered for illegal felling of 79 Trees. The basis of the aforesaid compensation has been determined by the competent authority (Conservator of Forests/Regional Director Moradabad Circle) under the Tree Protection Act. A

Handwritten signature



Copy of Recovery of Compensation called E-3 is annexed herewith and marked as **Annexure R-7 (Colly)**.

15. That the proceedings which have been initiated against the respondent 8 are in consonance with the Uttar Pradesh Government's Notification no 24/81-5-2020-07-93 dated 07th of January 2020 referred in the Original Application and the same has been duly followed.

16. That regarding the second Gata No. No.2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, , at Bijnor, Mandawar Road having an area of about 1.587 hectares in Bijnor, all the 68 mango trees are safe and secured as per the joint inspection report submitted by the revenue and Forest Department. A copy of joint inspection report dated 01.08.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-8**.

17. That the deponent tenders his unconditional apology before this Hon'ble Tribunal.



18. That the deponent undertakes before this Hon'ble Tribunal that the orders passed by this Hon'ble Tribunal will be complied in letter and spirit and further undertakes that he shall take all such possible preventive measures for safeguarding the Environment.

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

On this 7th day of August, 2024.

DEPONENT



deponent before me on this 07 day of 8 2024
 by Roun Kumar Singh
 who has been identified by D.P. Kumar Bete
 who is personally known to me
 whose Signature (s) is/are here to appended

S. Balwant Singh Advocate
 NOTARY
 BIJNOR (M.P.)

S. Balwant Singh
 ADVOCATE
 Regn No 11064/13
 Collectorate, BIJNOR

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 272 OF 2024



IN THE MATTER OF:

Deepank Kumar Sharma

...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forests

And Climate Change & Ors

....Respondents

AFFIDAVIT

I, Arun Kumar Singh aged about 60 years, S/o Late Sh. Ganesh Pratap Singh presently posted as Divisional Forest Officer District Bijnor, Uttar Pradesh, r/o House No,1584 Divisional Forest Officer Bijnor, Uttar Pradesh- 246701 do hereby solemnly affirm and state as under –

1. That I am fully acquainted with the facts, circumstances and records of the instant case.
2. That I further state that the averments made in the application have been thoroughly read and

[Handwritten signature]
—



understood by me and thereby I declare that the application has been prepared on my instructions.


- 3. That the contents of the accompanying application are all true to my knowledge and the rest are on information derived from papers of the case and believed by me to be true.


DEPONENT

Verification:


I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified by me. on this 07th day of August 2024



sworn before me on this 07 day of 8 2024
 by Ashwini Karmeen Singh
 who has been identified by D.P. Kaur Nete
 who is personally known to me
 whose Signature (s) is/are here to appended.


 S. Salwant Singh, Advocate
 NOTARY
 BIJNOR (U.P.)


DEPONENT



Dilpreet Kaur
 ADVOCATE
 Regn. No 11044/13
 Collectorate; BIJNOR

~~13/03/2024~~ → 1

Item No. 1

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No.272/2024
(I.A. NO. 120/2024)

Deepank Kumar Sharma

...Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest
and Climate Change & Ors.

...Respondents

Date of hearing: 12.03.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.**

Applicant: Mr. Vishwendra Verma, Advocate for Applicant.

**Application has been filed under Sections 18 (1) read with Sections 14
& 15 of the National Green Tribunal Act, 2010**

ORDER

1. Mr. Deepank Kumar Sharma has filed the present application under Sections 18 (1) read with Sections 14 & 15 of the National Green Tribunal Act, 2010 seeking issuance of directions to respondents No.1 to 7 to immediately stop the cutting of the trees / Bagh / Garden from the land mentioned in the application and to take appropriate action against the respondents No. 8 to 10 for cutting the trees from the above said land and impose Environmental Compensation.


2. The applicant submit that there are two Mangoes bagh/Garden/Park, at Bijnor, Mandawar Road, having area of about 1.587 hectare in bijnor, in



khasra No.21119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128 and Rakba are 0.0890, 1.1520, 0.1140, 0.2910, 0.2210, 0.1260, 0.1170, 0.2020, 0.1010, 0.1140 hectare, respectively U.P. and second bagh/Garden/Park at Mandawar Chandak Road, Bijnor, having area of about 2.3420 hectare in Bijnor, in khasra No.1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094 and Rakba are 0.7970, 0.1260, 0.3410, 0.2280, 0.6860, 0.1640 hectare, respectively. Both the Mangoes bagh/Garden/Park are having approximately 180 trees of mangoes. The respondent No.8 to 10 had already cut down approximately 30 trees and are trying to cut other trees also after drying the same by using some acid. The petitioners tried to stop them but they failed to do so because the respondent No.8 to 10 are powerful and having muscles power in these circumstances the petitioner could not stop the respondent no.8 to 10. The petitioner made several complaints to the authorities as respondents No. 3 to 7 but none of the respondents have taken any action against the respondent No.8 to 10.

3. This Tribunal noticed in its order dated 07.03.2024 that permission is stated to have been obtained from the concerned competent authority for cutting of trees and the question of validity thereof was not within jurisdiction of this Tribunal.

4. However, in view of the undisputed legal position that illegal cutting of the trees raises questions relating to environment arising out of implementation of the Environment (Protection) Act, 1986 and also the facts and circumstances of the present case we consider it appropriate to seek response/report, in the first instance, from the Divisional Forest Officer, Bijnor, Moradabad Circle, Moradabad, U.P. impleaded as respondent no. 7 in the case.



O.A. No. 272/2024 Deepank Kumar Sharma Vs. MoEF & CC & Ors.

-3-

5. The Registry is accordingly directed to issue notice along with the copy of the application and documents attached with the same to respondent no. 7- Divisional Forest Officer, Bijnor, Moradabad Circle, Moradabad, U.P. requiring him to file his response/report to the allegations made in the application within two weeks (from the date of receipt of copy of this order) by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
6. List for further consideration on 15.04.2024.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 12th, 2024
ag



Photo Copy Attes
S. Balwant Singh
Advocate/Notary
Bijnor (U.P.)
07/18/24



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 11216920240193

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : पण्डावर(पण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खख संख्या : 00331

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणोपय भूमिधरो केअधिकार में हो

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|------------------|--|--|----------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| खसत/गाटा संख्या | (2) गांव/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अनियत धार अंक) अथवा धन नं0 (6-9 खान के अंक) / धारा / कर्मस्थिति (अवधारक हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (द्वीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (रे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल रे. (रे.) | (9) खसत, गाटा संख्या व कुलफल |
| 1089 | 1) क्षेत्र कुमा संशु/स0 के संशु/स0/अंक धार स0 संशु/स0/संशु/स0 | | 1373ख0 | 1089(1121691089000012) | 0.3410 | 1) 1/1 | 1) 0.3410 | 11.70 |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- दस एकड़ दो सौ चार एकड़ चार दशमिक (दो सौ चार एकड़ चार दशमिक) कुल धनमूल्य - एक एकड़ दो सौ चार एकड़ चार दशमिक (दो सौ चार एकड़ चार दशमिक) कुल अंश का क्षेत्रफल - दस एकड़ दो सौ चार एकड़ चार दशमिक (दो सौ चार एकड़ चार दशमिक)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | | खारिज किया गया | | दर्ज किया गया | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत धार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / न्यायालय का आधार / विहित हस्ताक्षर नाम / विहित हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अनियत धार अंक) अथवा धन नं0 (6-9 खान के अंक) / धारा / कर्मस्थिति (अवधारक हेतु) | (12) गाटे का खसत नम्बर / द्वाीक कोड | (13) क्षेत्रफल (रे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अनियत धार अंक) अथवा धन नं0 (6-9 खान के अंक) / धारा / कर्मस्थिति (अवधारक हेतु) | (15) गाटे का खसत नम्बर / द्वाीक कोड |
| | | | | | |


(17) भूमि के सन्तत्य में विवाराधीन गाटा/गाटो की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) अंक/अंक-सुख होने की स्थिति

(18.1) अंक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/अंक का दिनांक/धारा/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) अंक-सुख होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/अंक-सुख का दिनांक/धारा/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अनुमति :



Handwritten signature



उद्धरण खतोनी

उद्धरण क्रमांक : 11216920240192

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (पपना) : पण्डावर(पण्डावर) तहसील : विजौर जपद : विजौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) पान : 1 (1) खण्ड संख्या : 00331

श्रेणी : 1 -क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिगत के अधिकार में हो

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------------|-----------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| खसरा/पाटा संख्या | नाम/पिता-पति-संरक्षक-अवकाश का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनियत वार अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार) | वर्ष | गाटा (श्रीलोक कोड) | गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | दिले में | क्षेत्रफल में (हे.) | खातेदार अंश में क्षेत्रफल | अंश |
| 1084 | 1) केसर कुमार वर्मा नं० 0 के वर्मा नं० 0 का प्लॉट एरर नं० 0 नं० 0 नं० 0 नं० 0 नं० 0 | 137340 | 1084(1121691084000012) | 0.1260 | 1) 1/1 | 1) 0.1260 | 0.1260 | 1) 0.1260 |

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | | खारिज किया गया | | दर्ज किया गया | |
|--|--|---------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| नामान्तरण का नाम / कम्प्यूटरीकरण वार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद नाम / डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद दिनांक | नाम / पिता-पति-संरक्षक-अवकाश का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनियत वार अथवा आदेश नं० 0) अथवा नं० 0 (6-9 स्तर के अंक) / पता / जमिनी (अवकाश हेतु) | गाटे का खसरा नंबर / श्रीलोक कोड | क्षेत्रफल (हे.) | नाम / पिता-पति-संरक्षक-अवकाश का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनियत वार अथवा आदेश नं० 0) (6-9 स्तर के अंक) / पता / जमिनी (अवकाश हेतु) | गाटे का खसरा नंबर / श्रीलोक कोड |
| | | | | | |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारणीय एवम् वार/पाटों की कम्प्यूटरीकरण संख्या :

(18) जपद/खसरा/पट्टा होने की स्थिति


(18.1) जपद होने की स्थिति (संख्या अथवा ईक का नाम/कोड/अवकाश का दिनांक/व्यक्ति/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) खसरा/पट्टा होने की स्थिति (संख्या अथवा ईक का नाम/कोड/अवकाश का दिनांक/व्यक्ति/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) जपद/खसरा/पट्टा होने की स्थिति (संख्या अथवा ईक का नाम/कोड/अवकाश का दिनांक/व्यक्ति/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :



(Handwritten signature)



संख्या-4E



उद्घरण खतौनी

उद्घरण क्रमांक : 11216920240197

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परामर्श) : यण्डावर(पण्डावर) तहसील : विजनौर जनपद : विजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : J (I) खता संख्या : 00326

श्रेणी : I-क / भूमि जो संक्रमणोपयुक्त भूमिधारों के अधीन है

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|------------------|--|---|----------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| खसरा/गाटा संख्या | (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-अवकाश का नाम / जमीन कोड / आवारा नं० (अनियत चार अंक) अथवा प्लॉट नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मतिथि (अवकाश हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा अदालत संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (स्थानिक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा देय भू-मूल्य |
| 2119 | 1) दिनेश कुमार शर्मा नं० 03 के कर्तव्य/अवकाश हेतु 180 फीट/क्यूबिक मीटर | | 1373 | 2119(1121692119000012) | 0.0890 | 1) 1/1 | 1) 0.0890 | 2.85 |
| | | | | | | | 0.0890 | |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- 0.0890 हे. कुल मूल्य- 2.85 रु. कुल अंश का क्षेत्रफल - कुल मूल्य का 100 प्रतिशत है।

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | | खारिज किया गया | | दर्ज किया गया | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा अदालत संख्या / आदेश का दिनांक / न्यायालय का आधार / विजिलेन हस्ताक्षर नाम / विजिलेन हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-अवकाश का नाम / जमीन कोड / आवारा नं० (अनियत चार अंक) अथवा प्लॉट नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मतिथि (अवकाश हेतु) | (12) गाटे का खसरा नंबर / स्थानिक कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-अवकाश का नाम / जमीन कोड / आवारा नं० (अनियत चार अंक) अथवा प्लॉट नं० (6-9 स्थान के अंक) / पत्ता / जन्मतिथि (अवकाश हेतु) | (15) गाटे का खसरा नंबर / स्थानिक कोड | (16) क्षेत्रफल (हे.) |
| | | | | | | |


(17) भूमि के संचयन में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) अंश/अवकाश-युक्त होने की स्थिति

(18.1) अंश/अवकाश-युक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/अवकाश का दिनांक/धारा/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) अंश/अवकाश-युक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/अवकाश-युक्त का दिनांक/धारा/आदेश संख्या/आदेश/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अच्युतक :



Handwritten signature



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 11216920240198

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्डावत(मण्डावत) तहसील : विवनोर जन्पद : विवनोर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खसब संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणोपय भूमिधरो केअधिकार में हो

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | |
|------------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| खसब/गाटा संख्या | नाम/पिता-पति-साथक-अथवाक का नाम / जति कोड / आकार नं० (अतिथि वार अंक) अथवा पेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है) | वर्ष | गाटा (पृथीक कोड) | गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | हिस्से में | क्षेत्रफल में (हे.) | खातेदार का अंश |
| 2120 | 1) शिबेक कुमार कर्माचड के कर्मचारीअथवाक हल 500 फीटवर्गअथवाक | 1373अ० | 2120(1121692120000012) | 0.1520 | 1) 1/1 | 1) 0.1520 | 4.58 |

कुल गाटे एक कुल क्षेत्रफल- दस ठगसल एक पौन दो हल (हिसेअ) कुल आर व क्षेत्रफल - कुल आपसल एक पौन दो हल (हिसेअ)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

| खारिज किया गया | | दर्ज किया गया | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|
| (11) | (12) | (13) | (14) |
| नाम / पिता-पति-साथक-अथवाक का नाम / जति कोड / आकार नं० (अतिथि वार अंक) अथवा पेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है) | गाटे का खसब नम्बर / पृथीक कोड | क्षेत्रफल (हे.) | नाम / पिता-पति-साथक-अथवाक का नाम / जति कोड / आकार नं० (अतिथि वार अंक) अथवा पेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है) |
| नाम/पिता-पति-साथक-अथवाक का नाम / जति कोड / आकार नं० (अतिथि वार अंक) अथवा पेन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है) | गाटे का खसब नम्बर / पृथीक कोड | क्षेत्रफल (हे.) | गाटे का खसब नम्बर / पृथीक कोड |

(17)भूमि के सन्बन्ध में विवादाधीन सन्बन्ध बन्ध/पत्तो की कन्वर्टिडिड संख्या :

(18)अवक/अवक-सुक होने की स्थिति


(18.1)अवक होने की स्थिति (संख्या अथवा हेक्टा का नाम/कोड/अवक का दिनांक/अवक/अवक/आवेदन संख्या/आवेदन/आवेदन/पिता-पति-साथक) :

(18.2)अवक-सुक होने की स्थिति (संख्या अथवा हेक्टा का नाम/कोड/अवक-सुक का दिनांक/अवक/अवक/आवेदन संख्या/आवेदन/आवेदन/पिता-पति-साथक) :

(19)अवकुक :



Handwritten signature





उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 11216920240199

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : पण्डावर(मण्डावर) तहसील : विजनाौर जन्मपद : विजनाौर फराली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खता संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणोच भूमिधरो केअधिकार में हो

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | |
|--------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| (2) खता/खता संख्या | (3) नाम/पिता-पति-प्राणक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अतिथ चार अंक) अथवा पैर नं0 (6-9 खतन के अंक) / पता / जन्मतिथि (अथवाक हेतु) का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (पूरीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (रु.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (रु.) | (9) खातेदार द्वारा पैर पू-राजस्व |
| 2121 | 1) शिवम कुमार शर्मा/नं0 देव कर्मनि0अकर खत नं0 शिवमकुमा शर्मा | 1373+0 | 2121(1121692121000012) | 0.1140 | 1) 1/1 | 1) 0.1140 | 3.70 |

इस गाटे-एक कुल क्षेत्रफल - कुल व्यक्तन एक एक गाट (हेक्टेर) कुल पू-राजस्व - हीर व्यक्तन एक एक गाट (हेक्टेर) कुल अंश का क्षेत्रफल - कुल व्यक्तन एक एक गाट (हेक्टेर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | | खारिज किया गया | | दर्ज किया गया | |
|---|---|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| (10) व्यापार का नाम / कम्प्यूटीकृत चार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नमान्तरण का आधार / डिजिटल इस्ताखर नाम / डिजिटल इस्ताखर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-प्राणक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अतिथ चार अंक) अथवा पैर नं0 (6-9 खतन के अंक) / पता / जन्मतिथि (अथवाक हेतु) | (12) गाटे का खतन नाम / पूरीक कोड | (13) क्षेत्रफल (रु.) | (14) नाम / पिता-पति-प्राणक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अतिथ चार अंक) अथवा पैर नं0 (6-9 खतन के अंक) / पता / जन्मतिथि (अथवाक हेतु) | (15) गाटे का खतन नाम / पूरीक कोड |
| | | | | | |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व बाट/बाटो की कम्प्यूटीकृत संख्या :
 (18) प्रबंधक/अथक-मुक्त होने की तिथि
 (18.1) प्रबंधक होने की तिथि (संख्या अथवा रिक का नाम/कोड/अथक का दिनांक/पत्राति/आदेश संख्या/खतन/पिता-पति-प्राणक):
 (18.2) प्रबंधक-मुक्त होने की तिथि (संख्या अथवा रिक का नाम/कोड/अथक-मुक्त का दिनांक/पत्राति/आदेश संख्या/खतन/पिता-पति-प्राणक):
 (19) अनुमति :




उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 112169202401101

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : पण्डावर(पण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खता संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|------------------|--|---|----------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| खसरा/गाटा संख्या | (2) नाव/पिता-पति-संरक्षक-अवधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अनिय चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवधक हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (सूचीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा देय रूपफल |
| 2123 | 1) दिनेश कुमार शर्मा नं0 डेव कर्पसिओनर इल नं0 पिल्लारुज्जा गन्धिवार | | 1373-80 | 2123(1121692123000012) | 0.2210 | 1) 1/1 | 1) 0.2210 | 7.00 |
| कुल गाटे- एक | कुल क्षेत्रफल- दूध टकसल दे दो एक दूध (हिस्टेर) | कुल अंश का क्षेत्रफल - दूध टकसल दे दो एक दूध (हिस्टेर) | | | | | 0.2210 | |

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिस्ट्रिक्ट इलाक़ नाम / डिस्ट्रिक्ट इलाक़ दिनांक

खारिज किया गया

(11) नाव / पिता-पति-संरक्षक-अवधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अनिय चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवधक हेतु)

(12) गाटे का खसरा नम्बर / सूचीक कोड

(13) क्षेत्रफल (हे.)

दर्ज किया गया

(14) नाव / पिता-पति-संरक्षक-अवधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अनिय चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवधक हेतु)

(15) गाटे का खसरा नम्बर / सूचीक कोड

(16) क्षेत्रफल (हे.)


(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन एवम् वाद/वादों की कम्प्यूटीकृत संख्या :

(18.1) अवधक/अवधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) अवधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाव/कोड/अवधक का दिनांक/धनगणि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) अवधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाव/कोड/अवधक-मुक्त का दिनांक/धनगणि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अप्सुक्ति :



AC



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 112169202401103

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (परगना) : मण्डावर(मण्डावर) तहसील : विजनीर जनपद : विजनीर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खता संख्या : 00326

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणोपय भूमिधरो के अधिकार में हो

| खसरा/गाटा संख्या | खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा फैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत बाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोर का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (सूचीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा देय भू-उत्पन्न | |
| 2125 | 1) शिवेन कुमार शर्मा/नं० 0 के स्मॉल/नि०/चक्र इत नि० सितब/उत्पन्न गणिवारा | | 1373 | 2125(1121692125000012) | 0.1770 | 1) 1/1 | 1) 0.1770 | 5.70 | |
| कुल गाटे- एक | कुल क्षेत्रफल- एक गाटा गाटा (हेक्टेयर) | कुल भू-उत्पन्न - पाँच टन/वर्ष - पाँच टन/वर्ष एक गाटा गाटा (हेक्टेयर) | | | | | 0.1770 | | |

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत बाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नमान्तरण का आधार / विधिगत इत्यादि नाम / विधिगत इत्यादि दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा फैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु) | (12) गाटे का खसरा नम्बर / सूचीक कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा फैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु) | (15) गाटे का खसरा नम्बर / सूचीक कोड | (16) क्षेत्रफल (हे.) |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|----------------------|

दर्ज किया गया

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------|
| (17) भूमि के सम्बन्ध में विचारणीय एजन्स बाट/गाटों की कम्प्यूटीकृत संख्या : | (18) बंधक/बन्धक-मुक्त होने की स्थिति | (18.1) बंधक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बैंक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/कारोदार/पिता-पति-संरक्षक) : | (18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बैंक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/कारोदार/पिता-पति-संरक्षक) : | (19) अभ्युक्ति : |
|--|--------------------------------------|--|--|------------------|





उद्घरण खतौनी

उद्घरण क्रमांक : 112169202401106

ग्राम क्रमांक : 112169 ग्राम का नाम (पराना) : मण्डावर(मण्डावर) तहसील : बिजनौर जनपद : बिजनौर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00326

| खसरा/गादा संख्या | खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | |
|------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| | (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनियत चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवकाश हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोर का आधार | (4) वर्ष | (5) गादा (स्थलीय कोड) | (6) गादे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) आवंटित अंश में क्षेत्रफल |
| 2128 | 1) स्थिति कुमावत/नं० देव कर्मा/विशेषकर इला 100 सितार/कुमावत | | 1373-90 | 2128(1121692128000012) | 0.1140 | 1) 1/1 | 1) 0.1140 | 3.60 |
| कुल गादे- एक | कुल क्षेत्रफल- कुल व्यापक एक एक एक (हे.के.ए.) कुल पुराना - तीन अनामक क. कुल कच्चे | कुल अंश का क्षेत्रफल - कुल व्यापक एक एक एक (हे.के.ए.) | | | | | 0.1140 | |

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | | खारिज किया गया | | दर्ज किया गया | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नमान्तरण का आधार / सिविल हस्ताक्षर नाम / सिविल हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनियत चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवकाश हेतु) | (12) गादे का खसरा नंबर / स्थलीय कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनियत चार अंक) अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवकाश हेतु) | (15) गादे का खसरा नंबर / स्थलीय कोड |
| | | | | | |

(17) भूमि के संचयन में विद्यमान राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) अंश/अंशक-युक्त होने की स्थिति

(18.1) अंशक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बैंक का दिनांक/व्यक्ति/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(18.2) अंशक-युक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बैंक-युक्त का दिनांक/व्यक्ति/आवेदन संख्या/खातेदार/पिता-पति-संरक्षक) :

(19) अनुसूचि :



Photo Copy of
S. Balwant Singh
Advocate/Notary
Bijnor (U.P.)

सेवा में,

श्रीमान डी० एफ० ओ० महोदय विजनाौर।

विषय- 48 पेड आम के काटे जाने हेतु परमिट जारी करने के संबंध में -
.....

श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी मौजा मण्डावर पर० मण्डावर में है जिसमें निम्न पेडआम के छाडे है जो छोट सं० 1083 रकबा ०.997 हेक्टेअर खाता सं० 331 में 32 पेड आम व छोट सं० 1084 रकबा ०.126 हेक्टेअर खाता सं० 331 हेक्टेअर में 10 पेड आम के छोट सं० 1090 रकबा ०.228 हेक्टेअर खाता सं० 331में 8 पेड आम के व छोट सं० 1090 में रकबा ०.686 हेक्टेअर खाता सं० 331 में 20 पेड आम व छोट सं० 1094 रकबा ०.164 हेक्टेअर खाता सं० 331 में 6 पेड आम के है इत प्रकार कुल 82 पेड आम के छाडे है जो हर प्रकार के मार ते पाक व ताफ है । मैंअपने उपरोक्त 82 पेड आम को काटना चाहता हूँ । तथा इन पेडो निजि सम्पति में छाडे है । मेरा उपरोक्त पेड निजि सम्पति में छाडे है । कोई वाद विवाद नही है ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना हैकि उपरोक्त पेडो में से 48 पेडो को काटे जाने हेतु परमिट बनवाये जाने की कृपा करे ।

आपकी अति कृपा होगी ।

देश कुमार

दिनांक 7-11-23

प्रार्थी

देश कुमार शर्मा पुत्र देशशर्मा
नि० मिश्रा हाऊस नं० 1 डाक्टर्स
बैन बाजोरिया रोड नजदीक मंजुलिंग गार्डः
सहारनपुर 30 प्र० ।

सै. अ० मधुकर

कृ० जांच कर आरक्षण

क्षेत्रीय वन अधिकारी
विजनाौर





विशेषण शुल्क प्राप्त 1-3 राख्या दिनांक
 कमाई.....
 शासनाधीन सार्वजनिक प्रभाग, विजयनगर
 उत्तर प्रदेश तथा संरक्षण अधिनियम (सथा संशोधित) 1079 की धारा-6(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित


सेवा में,
 प्रांतीय निदेशक/उप प्रांतीय यन्त्राधिकारी/राष्ट्रीय अधिकार/उपस्थान निरीक्षक/वनविद आधीन
अनिल प्रशासक विजयनगर जिला विजयनगर।
 महोदय,

मैं/हम देव कुमार पुत्र श्री देव राम
 निवासी डाकखाना 29/11 तहसील विजयनगर
 जिला विजयनगर अपने निजी कारखाने के वृक्ष (वृक्षों) को गिराना और हटाना चाहता हूँ/चाहते हैं, जो नीचे दिये
 संक्षेप विवरण के अनुसार ग्राम आम तहसील विजयनगर जिला विजयनगर
 में पड़ने वाली मरी/हमारी भूमि के प्लॉट/खसरा संख्या 1083, 1084, 1089 रकबा 3.345 में स्थित हैं।
1090, 1092, 1094

| क्र.सं. | वृक्ष की प्रजाति | छाती की ऊँचाई पर वृक्ष के तने का व्यास (से.मी.) | वृक्ष को हटाने/गिराने का वजन |
|---------|------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आम | 240, 230, 223, 250, 205 | स्थलीय जमाने में वृक्ष के |
| 2 | — | 250, 242, 182, 242, 165 | किसी बलपूर्वक जमा है आम |
| 3 | — | 160, 165, 175, 285, 147 | के वृक्ष संलग्न आम के |
| 4 | — | 242, 225, 195, 263, 242 | कलहल लगे गये हैं। |
| 5 | — | 200, 210, 232, 227, 165 | |
| 6 | — | 191, 215, 232, 192, 168 | |
| 7 | — | 241, 197, 234, 212, 191 | |
| 8 | — | 202, 223, 235, 247, 251 | |
| 9 | — | 232, 238, 220, 205, 212 | |

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात् आने वाली वर्षा ऋतु से पूर्व आम
 प्रजाति संख्या 480 के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का यत्न देता हूँ/देते हैं।

3. मैं/हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊँगा और हटाऊँगा/गिराऊँगे और हटाऊँगे या मैं/हम श्री देव
कुमार पुत्र श्री देव राम निवासी ग्राम आम तहसील विजयनगर जिला विजयनगर को उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने
 और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/करेंगे, जिसके लिये नोटरी द्वारा सत्यापित 10/11 रुपये के
 न्ययिकेत्तर स्टाम्प पत्र पर प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न है।



Handwritten signature or initials.

- 04- हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए 10 पौधों का रोपण और पाच्चातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति पौधा रू० 1009/- (एक सौ रूपया) की दर से..... 10000/- रूपये डाकघर बचत बैंक पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी के पद नाम पर गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ/करते है।
- 05- मैं/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को विनिश्चय का पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पतायुक्त स्टापि लिफाफा संलग्न करता हूँ/करते है।
- 06- मैंने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबंधों को पढ़ लिया है और हम/मैं उनका पालन करूंगा
- 07- मैं/हम सत्यापित करता हूँ/करते है कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है।
- 08- अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने/हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के साथ भाग-2 में विहित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी को अग्रसरित करने का कष्ट करे।

संलग्नक:-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पासबुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में)
2. अपना पतायुक्त सत्यापित रजिस्ट्री डाक लिफाफा।
3. मुख्तारनामा (यदि लागू हो)
4. शपथपत्र मय फोटो सहित।
5. खसरा-खतौनी की प्रति।

दिनांक 03/11/2023
स्थान सिवनी

आवेदक के हस्ताक्षर देवेश कुमार
नाम देवेश कुमार शर्मा
पुत्र श्री देव राम
निवासी ग्राम/मौ० डम्हस लेन बापरिया रोड निम्ठ
तहसील नुप्राजिग जाडी सतसपुर, 3030
पिनकोड सिवनी

Photo Copy Attes
S. Balwant Singh
Advocate/Notary
Bilnor (U.P.)



Photo Copy Attes
S. Balwant Singh
Advocate/Notary
Bilnor (U.P.)
07/10/24

पत्रांक 219 / 27-18-3, दिनांक, बिजनौर, 13 दिसम्बर, 2023।

सेवा में

श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा
 भिंयारी-मौ0 बालार कला मण्डावर
 तहसील व जिला बिजनौर।

विषय-

फलहीन व रोगग्रस्त आम के वृक्षों के काटने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

जिलाधिकारी, बिजनौर का पत्रांक- 836-40/पातन/2023-24 दिनांक 12.12.2023।

आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के पत्रांक 34/तीन-12 (2022-23) रा0सहा0-1 दिनांक 09.10.2023, प
 126/आलि0प्रशा0/2023/दिनांक 13.10.2023 एवं उप निदेशक उद्यान मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद के प
 662-65/विविध/पातन/2023-24 दिनांक 12.10.2023 के क्रम में उपरोक्तानुसार एक समिति का गठन किया गया है।
 निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर फलदार वृक्षों से सम्बन्धित आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत प्रदान की जायेगी।

- 1-भूमि विवादित/सीलिंग से सम्बन्धित ना हो, इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसील से प्राप्त कर लिया जाये।
- 2-भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी, सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित करायी जाये।
- 3-कृषक द्वारा जिस भूमि में पेड़ों के काटने की अनुमति चाही गयी है, मौके पर पाये गये कुल फलदार वृक्षों की वास्तविक संख्या द
 जाये।
- 4-आवेदक को परमिट जारी करने से पहले नियमानुसार 10 गुना फलदार वृक्ष लगवाया जाना सुनिश्चित कर लिया जाये।
- 5-अवैध कटान को रोकने हेतु कड़ाई से यह सुनिश्चित किया जाये, कि आवेदक को जितने फलदार वृक्षों काटने की अनुमति प्रदान
 गयी है उसके अतिरिक्त किसी भी पेड़ का कटान ना किया जाये।
- 6-आवेदक के गाटा संख्या में जिन फलदार वृक्षों का आवेदन किया गया है उनको चिन्हित (माक) अवश्य कराया जाये।
- 7-आवेदक द्वारा वृक्षों को काटे जाने का वास्तविक कारण 10 रु0 के स्टाम्प पर प्राप्त किया जाये।

अतः आप उपरोक्तानुसार गठित समिति के बिन्दु सं0-1 से 7 तक के अभिलेख पुनः पातन अनुज्ञा प्रार्थना पत्र के
 इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : (मूल सं0)

RO 27-18-3
 बिजनौर
 13.12.23

(ज्ञान सिंह)

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
 बिजनौर।



Photo Copy Attes
 S. Balwant Singh
 Advocate/Notary

SCAN AnyScanner

कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज - बिजनौर

पत्रांक 513 / 14-1

बिजनौर दिनांक

14/12/2023.....

उ.नि.क्र. (466/12-12-23)

सेवा में,

उपजिलाध्यक्षारी
तहसील - सदर, बिजनौर

विषय

: श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा व श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री अमर निशम शर्मा को Crpc की धारा 107/116 में पावद करने के संबंध में।

संदर्भ

उपर्युक्त विषयक कसबत आग है कि खसबत नं 1083, 1084, 1089, 1090, 1093, 1094 असाजी स्थित मण्डार - चन्द्रक रोड, देव कुंज सिवार्, सिवार् बस स्टैंड बसा मण्डार, बिजनौर में एक बाग स्थित है। उस बाग में दो और आग के पेड़ हैं। इसका मालिक श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा निवासी मौहल्ला बाजार बस मण्डार, बिजनौर, वर्तमान निवासी मंगुलिका गाँव, वाजोरिया रोड, सखरपुर, व संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री अमर निशम शर्मा निवासी सरकारी बसस्टेशन बालावाड़ी रोड, मण्डार तहसील व जमपद बिजनौर ऊपर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4, 10 के तहत अवैध पात करना चाहते हैं। शासनोप संजय 2/81-5-2020-07-93 दिनांक 07.01.2020 द्वारा वृक्षों को न काटे या हटाये जाये। उसका के संबंध में कसबावासी लगातार विज्ञापन करते रहे हैं। यदि यह बाग बिना अनुमति काटा जाय है तो कसबा मण्डार में बाँटें जायेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इस दोनो पत्रियों को Crpc की धारा 107/116 में पावद करने की कृपा करें।

संलग्नक : शिकायती पत्र 300 छापा उत्रि।

अधीनस्थ
S. Balwanti
14/12/2023
क्षेत्रीय वन अधिकारी

धृतिजिदि : प्रभारतीय उप वनाधिकारी, उपडायग बिजनौर को उनके कार्यालय दिनांक 25/11/2023 (ओ काज शास) के अनुपालन में सादर अपनार्थ अधित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-बिजनौर




Photo Copy Files
S. Balwant Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
14/12/24

सेम नैस सं- 68/बिजोर/2023-24

232/01/23-24

बुक नं 04 N. 29° 29' 33" नं 10
E. 78° 07' 53"

वन आकार पत्र सं 0 एच-2

क्षेत्र (सर्किल) सुरादाबाद खण्ड (डिवीजन) विजोनौर


प्रसूचना (रिपोर्ट) सं 4, 10, 2/28 दिनांक 11-02-2024 अधिक्षेत्र (रेंज) विजोनौर

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास 1. श्री दासिम पुत्र श्री फारुक नि. श्री काजर मंगल थाना - श्री दाचित चौधरी मण्डावर जि. बल्लार विजोनौर
- 2. साक्षी का नाम 2. देवेश श्री सु देव श्री नि. श्री काजर मंगल थाना - श्री मण्डावर जि. विजोनौर (अस्थायी)
- 3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 11-02-024 को समय लगभग 8:00 AM मण्डावर क्षेत्र की गिरी कास्ट में 08 क्वॉ आस का अज्ञेय घातक किया गया।
- 4. मूल्य
- 5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन जांच जारी है।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख मंडावर, आज दि 11-02-024 को प्रातः 8:00 AM पर मुख्य पीर आस के क्षय दृष्टाव पर मण्डावर क्षेत्र में आस के पेड़ो अज्ञेय रूप से काटे की सूचना प्राप्त हुयी। सूचना पर विश्वास करके में उपरोक्त साक्षी के साथ मण्डावर वस स्टेंड से पूर्वी में स्थित आस के वना में पहुचा तो देखा की आस के 08 क्वॉ की जड़ उखड़ी हुयी पड़ी थी आस के अज्ञेय रूप से काटे क्वॉ का समस्त प्रकाश मोड़ से जापक था। पास में स्थित क्षेत्र में स्थित कषक के द्वारा उपरोक्त नाशित आशिसत का नाम बताया गया है।
 प्रातः उपरोक्त अज्ञेय रूप से काटे गये आस के क्वॉ का में उपरोक्त अज्ञेय धरासी का उल्लेख पाये जाने पर M-2 डेस रजरा किया जाता है।

P.A. 30/02/24 13/2/24

प्रातः M-2 डेस अज्ञेय कापनाही हेतु सूचनायें उपरि है।
 अवधीय
 11-02-024
 सुरेश कुमार
 वन दरोगा
 वीर प्रभारी मण्डावर



जीपीएम० - N-29'29'35.05"

E-78'07'49.84" नं० 17

बुक नं० 04

वन आकार पत्र सं० एच-2

वन विभाग उत्तर प्रदेश परिधि (सर्किल) मरादाबाद खण्ड (डिवीजन) बिजनौर

व्य अपराध 4/10/07 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 04/17 दिनांक 26/03/024 अधीक्षक (रेंज) बिजनौर

1. नाम, पिता का नाम और निवास ① स्वत स्वामी देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा निवसी- मण्डावर
2. साक्षी का नाम वन दुरोगा ② शाफिय पुत्र वाजिद नि. भू. भंगलबाजार मण्डावर थाना-मण्डावर तहसील-बिजनौर
3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 26/03/024 को मिजी शर्म से आम के 30 बूटो का अवैध पातन (स्त्रान) होना।
4. मूल्यांकन (वैल्यू) रु. 15,000/- प्रति बूटो का 30 बूटो का 450,000/-
5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के संबंध में विशेष कथन प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख मधोपम, आज दिनांक 26/03/024 को समय लगभग 07:30 (AM) वातः बजे राखवीर खास से मण्डावर बस अड्डे के निकट कपड़ की मिजी शर्म से आम के 30 बूटो के करने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होने पर मैं उपरोक्त अस्ति हमराह के साथ कामे गये स्कूल पर पहुँचा तो पक्ष में ही स्थित मकान पर मिले व्यक्ति को द्वारा बताया गया की अत्र स्वत में लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व आम के बूटो लगामे गये थे कपड़ के द्वारा अवसाधित/काप/कम उददेश्य से आम के बूटो को करा गया है। प्रस्ताव करने के उपरान्त घटनास्थल/पक्ष में देखा तो आम के 2 से 3 व्यस्तों के 14 बूटो आम व 3 से 4 व्यस्तों के 21 बूटो आम नाले हुए सहित कुल 30 बूटो का अवैध पातन (स्त्रान) करना रकब बिना पातन अथवा सिधे आम के बूटो का अवैध पातन (स्त्रान) करना रकब अवैध आश्रित करने पर उपरोक्त नामित आश्रितों के द्वारा 30,000 रु संज्ञा आश्रित 1978 की धारा 4/10 व 30,000 रु मकानी लकड़ी और समय पर उषज की अश्रित निषामावली 1978 की धारा 3/20 का उल्लंघन करने पर रूच-2 केस दर्ज किया जाता है।

शुद्धीय
26/03/024
सौरभ कुमार
वन दुरोगा
वीर उग्रारी
मण्डावर



जीपीठप्लॉट-29°35'35.05"

78°07'49.84" नं० 18

बुक नं०

04

पत्र आकार पत्र सं० एच-2

जिल्ला इन्टर प्रवेश परिधि (सर्किल) हाराबाद खण्ड (डिवीजन) बिजनौर

कथित अपराध 4/10/20 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 04/18 दिनांक 27/02/24 अधिकेत्र (रेंज) बिजनौर

- 1. नाम, पिता का नाम और निवास ① नरिमा सुत्र दमन नि० मो० शाह क्लियात मण्डावर जिला- बिजनौर
- 2. कासी का नाम ② बाबतू सुत्र अर्जुन सिंह नि० देवकाठा यमा मण्डावर न० व जिला- बिजनौर
- 3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक ③ देवेश कुमार शर्मा सुत्र देव शर्मा नि० मो० मण्डावर न० व जिला- बिजनौर
- 4. मूल्य 27/03/24 को मिज्जी शर्मा से आम के 33 लकड़ों का अवैध पातन (कटन) होना।

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन जान्य जारी है।

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख न हो प्य आज दिनांक 27/03/24 समय लगभग 5:30 (AM) प्रातः मुखवीर खास से सूचना प्राप्त हुई की देवेश कुमार शर्मा के वगाने अथ लकड़ों का अवैध कटन किया जा रहा है। सूचना पर विश्वास कर जप्ते इन्सपेक्ट श्री सचिव चौधरी के साथ मोका स्थल पर पहुंचा तो आम के 33 लकड़ों के ताले ढूँढ मिले। मोके से आम के लकड़ों का समझ पकड़ मोके से गायब था। प्रसूचना में जानकारी प्राप्त करने से पता चला की आम लकड़ों का अवैध पातन (चाल) उपरोक्त नामित अधिकृत द्वारा किया गया है।

आ: बिना पातन अतना आम के लकड़ों का पातन (कटन) एवं इन्वेस्ट अनुसंधान करने पर 30,90 लकड़ा संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व 30,90 इमास्ती लकड़ी एवं अन्य वन राज अधिनियम निपत्राकरी 1978 की धारा 2/20 का उल्लंघन करने पर एच-2 केस इंजरा किया जाता है।

भवदीय
 27/03/24
 सोरभ कुमार
 वन दरोगा
 वीर उमारी
 मण्डावर



Photo Copy Attached
 S. Bahwan Singh
 Advocate Notary
 Bijnor (U.P.)
 27/03/24

ई-3 ई-3 डी0आर0 संख्या-06/बिजनौर/03/24

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

कम संख्या.....4223.....

बुक संख्या.....

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर

1-श्री देवेश शर्मा पुत्र देव शर्मा नि0 बाजार कला मण्डावर। 2- मो0 हाशिम पुत्र मो0 फारुक नि0 मौ0 मंगल बाजार मण्डवर से मुबलिग रूपये (अंकों में) 40000.00 (शब्दों में) चालीस हजार मात्र बावत रेंज केस संख्या 68/बिजनौर/2023-24 के प्रतिकर प्रशमन धनराशि।

दिनांक 14.03.2024।

हस्ताक्षर

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर।

38

संख्या 193

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा. डा. प्रसाद, बिजनौर

ई-3

816-06/B18/03-24

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

बुक संख्या-

क्रम संख्या- 4223

..... प्रभाग नं. 06/18/03-24
श्री 06/18/03-24 प्रभाग नं. 06/18/03-24
06/18/03-24 प्रभाग नं. 06/18/03-24

से मुबलिय रुपये (अंकों में) 40000 = 00 (शब्दों में) चार पंद्रह हजार मात्र

बाबत 06/18/03-24 प्रभाग नं. 06/18/03-24

हेतु प्राप्त किये।

दिनांक 14-03-2024

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
(नाम व पदबोध सहित)
बिजनौर

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0) 1-वानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।



ई-3 डी0आर0 संख्या ई-3 डी0आर0 संख्या-13/बिजनौर/03/24।

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

क्रम संख्या.....4230.....

..

बुक संख्या.....

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर

1-श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा नि0 मण्डावर से मुबलिग। 2- शाकिव पुत्र वाजिद नि0 मो0 मंगल बाजार मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर से रूपये (अंकों में) 190000.00 (शब्दों में) एक लाख नब्बे हजार मात्र बावत रेंज केस संख्या 75/बिजनौर/2023-24 के प्रतिकर प्रशमन धनराशि।

दिनांक 28.03.2024।

हस्ताक्षर

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर।

ई-3 डी0आर0 संख्या ई-3 डी0आर0 संख्या-14/बिजनौर/03/24।

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

कम संख्या.....4231.....

...

बुक संख्या.....

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर

1- मोईन पुत्र छम्मन नि0 मो0 शाहबिलायत मण्डावर। 2- बब्लू पुत्र अर्जुन सिंह नि0 डेवलगढ थाना मण्डावर 3-श्री देवेश कुमार शर्मा पुत्र देव कुमार शर्मा नि0 मण्डावर से मुबलिंग से रूपये (अंकों में) 165000.00 (शब्दों में) एक लाख पैंसठ हजार मात्र बावत रेंज केस संख्या 76/बिजनौर/2023-24 के प्रतिकर प्रशमन धनराशि।

दिनांक 30.05.2024।

हस्ताक्षर

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बिजनौर।

Dr 10-14/1310/03-24

42

एप प्रमाणित वनाधिकारी
डा० डा० प्रताप, बिजनौर

वन विभाग, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

4231

क संख्या-

क्रम संख्या-

..... सार प्रभाग वनाधिकारी वृत्त

..... मुबलिया के अंतर्गत क्षेत्र में का क्षेत्र है
..... क्षेत्र में का क्षेत्र है
..... क्षेत्र में का क्षेत्र है

मुबलिया रुपये (अंकों में) 165000 = 00 (शब्दों में)
.....

..... दिनांक 20/05/2024
.....

हेतु प्राप्त किये।



..... दिनांक 20/05/2024

वनाधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम व पदनाम सहित)

0एस0यू0पी0 (आर0आर0) 1-वानिकी -7-12-20-400 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।





कार्यालय, वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक पानिकी, मुरादाबाद वृत्त।

फ़ाइल - 1751 / 2-1 मुरादाबाद, दिनांक, 04-01-2019.

कार्यालय आदेश

मुरादाबाद वृत्त के समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारियों को वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत वृक्षों के उर्वर पातन एवं अर्घ्य अर्पण पर वसूल किए जाने वाले प्रतिफल की धनराशि में एक नया सूची वृक्षों के उर्वर पातन/अर्पण को हतोत्साहित करने अर्घ्य पातन/अर्पण पर नियन्त्रण रखने एवं सार्वजनिक वृक्षों की प्राप्ति के उद्देश्य से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारियों से विचार-विमर्श के अन्तर्गत अपराधियों से वसूले जाने वाले न्यूनतम प्रतिफल के सम्बन्ध में इस कार्यालय के फ़ाइल-1751/2-1 दिनांक 04-01-2019 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| क्र. सं. | विवरण | वृक्ष प्रजातियों के नाम | वसूल की जाने वाली प्रतिफल की प्रति वृक्ष न्यूनतम धनराशि |
|----------|---|---|---|
| 1 | ऐसी प्रजातियाँ जिनके कटान पर दिनांक 31-12-2020 तक प्रतिबन्ध है तथा अधिनियम में वर्णित विशेष परिस्थितियों में ही काटे जा सकते हैं। | झाल, बीजासाल, पीपल, बरगद/बड़, नहुआ, नीम | रुपये 5,000/- |
| 2 | ऐसी प्रजातियाँ जिनके कटान हेतु पातन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। | (अ) खैर | (अ) रुपये 10,000/- |
| | | (ब) आम (देशी, कलमी व चुकनी), व सागौन | (ब) रुपये 5,000/- |
| | | (स) शोशन | (स) 5,000/- |
| | | (द) अन्य प्रजातियाँ | (द) 2,000/- |

वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रतिवृक्ष न्यूनतम प्रतिफल वसूल किये जाने की व्यवस्था की जाए। उक्त धनराशि न्यूनतम है विशेष परिस्थिति में कम प्रतिफल लेने की स्थिति में वन संरक्षक, मुरादाबाद से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

उपरोक्त आदेश 04-01-2019 से लागू होंगे।

(आरो पी० वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

फ़ाइल-1751/ दिनांकित। 5889 ...
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 21-1-2019


- 1- समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- 2- मुख्य वन संरक्षक रुहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश बरेली।

ना. श्री. राजेश/आ.व.सी.
2019

(आरो पी० वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

22 दिसम्बर की शर्त
Stem Nil

Daily Work. 100



प्रेषक,

संजय सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

76
36-10

44

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
नीति विश्लेषण एवं समन्वयक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1-8-10
1464
22/8/2010

वन अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 10 अगस्त, 2010

विषय:- उ०प्र० वन संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गैर-वन भूमि पर खड़े निजी वृक्षों की पातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रु० 100/- अनुमति शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-प०शा०-29/36-10, दिनांक 30 जुलाई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-1111/14-5-2010-91/2010, दिनांक 14-7-2010 का मुख्य आशय यह है कि प्रति वृक्ष रु० 100/- (रुपया सौ) अनुमति शुल्क के रूप में लिया जाना है।
संलग्नक-यथोपरि (हिन्दी एवं अंग्रेजी)
अधिसूचना दिनांक 14-7-2010

भवदीय,
(संजय सिंह)
विशेष सचिव

He
11/8/10
11/8/10

DD/107
11/8/10

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षण, उ०प्र० लखनऊ /
पत्रांक प-243 / 36/10, लखनऊ, दि० 11/08/2010
प्रतिनिधि- निम्न को रूप संलग्नक सहित सूचनाएँ
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-
1- प्रमुख वन संरक्षण, वन प्रजीव, उ०प्र० लखनऊ /
2- एसएम केएल प्रमुख वन संरक्षण, उ०प्र० लखनऊ /
3- एसएम सुन वन संरक्षण उ०प्र०
4- एसएम वन संरक्षण / प्रजागणिक विज्ञापक, उ०प्र०
5- एसएम प्रजागणिक वन संरक्षण / प्रजागणिक विज्ञापक, उ०प्र०

Scanned with OKEN Scanner



Photo Copy Attest
S. Balwant Singh
Advocate/Notary
Bijnor (U.P.)
10/8/24

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय आयुक्त, मुरादबाद मण्डल मुरादाबाद के पत्र संख्या 319/पी0ए0 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को प्रेषित पत्र में प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देव शर्मा निवासी मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर हाल निवासी पिलखुवा जनपद गाजियाबाद के द्वारा राजस्व ग्राम मण्डावर के खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127 व 2128 में निजी सम्पत्ति में बाग लगा हुआ है। आम बाग की शाखाएँ अत्याधिक जटिल व बड़ी होकर एक दूसरे वृक्षों से मिल चुकी है जिसके कारण वृक्षों एवं भूमि को सूर्य की उष्ण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण आम के वृक्षों में संक्रमण फैल रहा है एवं अन्य खेती जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि भी नहीं उगा पाने के कारण उनके द्वारा आम के वृक्षों की शाखाओं की छटाई/तरासी कराये जाने की अनुमति मांगने का अनुरोध किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से का इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये जा चुके हैं, जिन पर कार्यवाही आपेक्षित है

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थलीय एवं राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी राजस्व ग्राम मण्डावर परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के राजस्व अभिलेख षट्वार्षिक खतौनी फसली सन 1426-1431 (01 जुलाई 2018 से 30 जून 2024 तक) के भाग संख्या 1 खाता संख्या 326 के खसरा संख्या 2119 रकबई 0.0890 है0, 2120 रकबई 0.1520 है0, 2121 रकबई 0.1140 है0, 2122 रकबई 0.2910 है0, 2123 रकबई 0.2210 है0, 2124 रकबई 0.1260 है0, 2125 रकबई 0.1770 है0, 2126 रकबई 0.2020 है0, 2127 रकबई 0.1010 है0 व 2128 रकबई 0.1140 है0, कुल 10 खेत कुल रकबई 1.5870 है0 श्रेणी 1-क पर दिनेश कुमार शर्मा पुत्र डा0 देव शर्मा निवासी मण्डावर हाल निवासी पिलखुआ गाजियाबाद के नाम अंकित अभिलेख है। राजस्व अभिलेखों में उक्त आराजी में आम बाग दर्ज है।

उक्त आराजी चकबन्दी या सीलिंग से प्रभावित नहीं है। उक्त आराजी में मौके पर आम के पुराने 68 वृक्ष, अमरूद के 14 वृक्ष, शागौन के 05 वृक्ष तथा शीशम का 01 वृक्ष खड़े हुए हैं। मौके पर वृक्षों का निरीक्षण किया गया। आम के वृक्षों का औसतन व्यास 110 से0मी0 है व सम्भवित आयु लगभग 70-75 वर्ष है। अधिकतर वृक्षों की शाखाएँ चारों तरफ फँसली हुई है। वृक्ष रोगग्रस्त भी प्रतीत हो रहे हैं। तथा उन पर फल भी बहुत कम आया है मण्डावर कस्बा वासियों से जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि यह बाग बहुत पुराना है और अब इस पर बहुत कम फल आता है। उक्त आराजी विवादित नहीं है। आवेदक का इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है। अतः उक्त वृक्षों की शाखाओं का पातन कराया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। मौके के फोटो संलग्न कर आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

प्रमोद कुमार
लेखपाल
तहसील-बिजनौर

18/05/2024

Janch file





Attested by

[Signature]

[Signature]

[Signature]

स 01/08/24



01/08/24
S. Balwant Singh

Photo Copy Attached
S. Balwant Singh
Advocate/Notary
Bijnor (U.P.)
01/08/24





Photo Copy Attached
 S. Balwant Singh
 Advocate/Notary
 Bijnor (U.P.)
 07/10/24

